

प्रेस नोट दि0-17.07.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई : दुष्कर्म, मानहानि, धमकी व आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े आरोपी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही जारी-

होटल में अनैतिक गतिविधि का खुलासा, थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रबंधक गिरफ्तार

जून माह में अभियुक्त द्वारा होटल में तीन बार विभिन्न आईडी पर की गई एंट्री, जांच में तथ्य हुआ उजागर

होटल ग्रैंड पैलेस पर छापेमारी, अवैध संचालन के प्रमाण पर सील

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.07.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत होटल ग्रैंड पैलेस, बलीपुर रोड में एक युवक-युवती के मिलने की सूचना पर युवती के परिजनों व युवक के मध्य विवाद हुआ था। प्रकरण में वादिनी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर अंतर्गत धारा 64(2)m, 308(5), 356(2), 351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा सीन ऑफ क्राइम फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई। होटल ग्रैंड पैलेस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में होटल के संचालन हेतु आवश्यक लाइसेंस, सराय अधिनियम 1867 अंतर्गत पंजीकरण, एवं अन्य अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत होटल को सील कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज यादव के नेतृत्व में नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह म0कां0 सुबाली द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 64(2)एम, 308(5), 356(2), 351(2), 61(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से संबंधित होटल मैनेजर अभियुक्त सुहान खान पुत्र अमानतुल्ला निवासी ताला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में अन्तर्गत धारा-61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुहान खान पुत्र अमानतुल्ला निवासी ताला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 05 अदद होटल ग्राण्ड पैलेस का रजिस्टर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह म0कां0 सुबाली थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान- "जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अनैतिक/अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा सतत् रूप से प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत होटल ग्रैंड पैलेस से संबंधित प्रकरण में शीघ्र विधिक कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा होटल में अनियमितता पाए जाने पर उसे विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सील कर दिया गया है। ऐसे मामलों में पुलिस पीड़ित को त्वरित न्याय, साक्ष्य का संरक्षण एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी ।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल कीपैड फोन, 01 अदद मोटर साइकिल व कूटरचित छायाप्रति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों पर जनपद प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर में डकैती, हत्या सहित डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, धोखाधड़ी, व एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसे कुल 14 अभियोग हैं पंजीकृत

अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत स्टेडियम मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 लालबहादुर, का0 सर्वेश पाण्डेय का0 शिवम सिंह, का0 राकेश सरोज द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 17.07.2025 को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल कीपैड फोन, 01 अदद मोटर साइकिल व कूटरचित छायाप्रति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ 02 अभियुक्तों, 01.कुशू शंकर मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा नि0 ग्राम अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष, 02.सत्यम तिवारी उर्फ शिवम तिवारी पुत्र उमाकांत तिवारी नि0 ग्राम गिरधर मिश्र का पुरवा थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र 23 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत स्टेडियम मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल कीपैड फोन, 01 अदद मोटर साइकिल व कूटरचित छायाप्रति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/25 धारा 317 (2)/317(4)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340 (2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. कुशू शंकर मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा नि0 ग्राम अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. सत्यम तिवारी उर्फ शिवम तिवारी पुत्र उमाकांत तिवारी नि0 ग्राम गिरधर मिश्र का पुरवा थाना रामगंज जनपद अमेठी।

अभियुक्त कुशू शंकर मिश्रा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-415/17 धारा 307/394/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-162/16 धारा 396/412/120बी भादवि थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर।
3. मु0अ0सं0-267/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर।
4. मु0अ0सं0-39/17 धारा 2/3 गैरेस्टर एक्ट थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर।
5. मु0अ0सं0-164/19 धारा 411/413/414/419/420/467/468 भादवि थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।
6. मु0अ0सं0-117/21 धारा 174ए भादवि थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

अभियुक्त सत्यम तिवारी उर्फ शिवम तिवारी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-315/20 धारा 395/412 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-441/20 धारा 399/402 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-48/022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0-442/20 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर।
5. मु0अ0सं0-45/21 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर।
6. मु0अ0सं0-46/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर।
7. मु0अ0सं0-479/20 धारा 147/148/149/307/302/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर।
8. मु0अ0सं0-87/24 धारा 8/21 N.D.P.S. Act थाना कुड़वार जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल कीपैड फोन, 01 अदद मोटर साइकिल व कूटरचित छायाप्रति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 लालबहादुर, का0 सर्वेश पाण्डेय का0 शिवम सिंह, का0 राकेश सरोज थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

कृपया सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें-

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार -

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (ट्वीटर) पर डाला गया था आपत्तिजनक पोस्ट

शासन के निर्देश पर सोशल मीडिया पर रखी जा रही है कड़ी नजर

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट व भ्रामक/अफवाह फैलाने पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर की जा रही है त्वरित कार्यवाही

सोशल मीडिया पर अभियुक्त द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया था जिस पर सोशल मीडिया सेल प्रतापगढ़ द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर थाना मान्धाता पुलिस को जांच कर कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया था। थाना मान्धाता पुलिस द्वारा आपत्तिजनक वायरल एक्स (ट्वीटर) पोस्ट की जांच की जा रही थी

सोशल मीडिया पर जनपदीय मीडिया सेल द्वारा की जा रही है निरंतर मानिट्रिंग

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मान्धाता प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह नि० सुधीर कुमार, उ०नि० अलंकार, उ०नि० विनोद यादव, कां० अनी कुमार, कां० नवनीत कुमार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त अबूसाद पठान पुत्र मोबीन निवासी ग्राम कटाता थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 17.07.2025 को गिरफ्तार किया गया।

-गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना मान्धाता में मु०अ०सं० 92/2025 धारा 353(2) बी०एन०एस० व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अबूसाद पठान पुत्र मोबीन निवासी ग्राम कटाता थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह नि० सुधीर कुमार, उ०नि० अलंकार, उ०नि० विनोद यादव, कां० अनी कुमार, कां० नवनीत कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

एसपी प्रतापगढ़ का युवाओं के नाम संदेश-

“युवाओं से अपील है कि सोशल मीडिया का प्रयोग सोच-समझकर, सकारात्मक उद्देश्य के लिए करें। आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट न डालें और न ही साझा करें। इससे न सिर्फ कानूनी कार्यवाही हो सकती है, बल्कि आपकी शिक्षा, करियर और छवि पर भी असर पड़ सकता है। अभिभावक अपने बच्चों को जागरूक करें।”

जनअपील-

जनपदवासी किसी भी प्रकार की अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक/ भडकाऊ खबर को शेयर या फॉरवर्ड न करें। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

“पुलिस जनजागरूकता व जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध है।”

— डॉ० अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व धमकी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त को विश्वनाथगंज बस स्टाप के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में निरीक्षक प्रमोद कुमार मय हमराह का० विपिन कुमार, हे०का० दुर्गविजय, का० संतोष यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64,351 (2),352 बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, भूपेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व० राम किशोर यादव निवासी तिगुनाइत का पुरवा राजगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को विश्वनाथगंज बस स्टाप के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. भूपेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व० राम किशोर यादव निवासी तिगुनाइत का पुरवा राजगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक प्रमोद कुमार मय हमराह का० विपिन कुमार, हे०का० दुर्गविजय, का० संतोष यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के सगरासुन्दरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना लीलापुर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का गौरव यादव, का० प्रेमवीर सिंह, का० योगेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(2)(घ)/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, अमृत लाल पुत्र रामलाल निवासी आमदपुर (ताला सिरिस्ताबाद) थाना- लीलापुर, प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के सगरासुन्दरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमृत लाल पुत्र रामलाल निवासी आमदपुर (ताला सिरिस्ताबाद) थाना- लीलापुर, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का गौरव यादव, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 योगेश कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह का0 योगेन्द्र यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस नं0 141/04 बनाम राजेश दूवे अ0सं0 272/87 धारा 457/380/411 भादवि से संबंधित 01 वारंटी रामकृपाल पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम सरायशेर खँ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामकृपाल पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम सरायशेर खँ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह का0 योगेन्द्र यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।